

क्रमांक: एफ (21) एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/77


दिनांक : 11.04.2016

प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, (समस्त)  
अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)  
जिला नोडल अधिकारी समस्त,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)

विषय :- राशन कार्ड ऑनलाइन प्रमाणित ना होने की स्थिति में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार प्रमाणीकरण निम्नानुसार किया जायें :-

1. रोगी के परिवार का राशन कार्ड का क्रमांक डाल कर चैक करें कि रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी है अथवा नहीं।
2. सॉफ्टवेयर द्वारा कुछ भी नहीं बताने की स्थिति में रोगी के परिवार के राशन कार्ड से माह अक्टूबर 2015 एवं उसके पश्चात किसी भी प्रकार के खाद्यान प्राप्त किया हो अथवा रोगी द्वारा राशन डीलर के पास उपलब्ध सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाने पर उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभार्थी मानते हुये चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा इन दस्तावेजों को प्रमाणित करते हुये योजना के सॉफ्टवेयर में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) रूट से अपलोड किया जायें।



(डॉ. नीरज के. पवन)  
सी.ई.ओ.


स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ (22) एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/77

दिनांक : 11.01.2016

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. डॉ अवतार सिंह दुआ, बीएसबीवाई की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
9. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।



सी.ई.ओ.  
स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी